प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र देव, सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक :

09-12-2016

विषय:—डिवाइन गलोबल एकेडमी छपरौली रोड, बडौत, बागपत को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक शासनादेश संख्या—1916/15—7—9(299)/2007 दिनांक 14—07—2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 30—11—2016 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया:—

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के भौक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा भार्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिशद द्वारा संचालित विद्यालयों से विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (5) फीस उन्ही मृदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर भाुल्क न चार्ज किया जाये।
- (6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (7) उक्त भार्तों मे राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धग नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक / मध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा। (१९७५) राष्ट्राप्ट (१९०५)

Principal Principal Academy Principal School

Baraut (Baghpaf)

संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में (10)विद्यालया माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डिन स्कूल सटीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना (11)

सुनिश्चित किया जाये।

संस्था की वार्षिक आय व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा—जोखा प्रत्येक वर्ष 31 (12)

दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

यदि किसी समय पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया (13)जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

> भवदीय डॉ०(महेन्द्र देव) संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव मेरठ मण्डल, मेरठ।

पुष्ठांकन संख्या-8949 / मं०स० (180) / 2016 तद दिनांक। प्रतिलिपी निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ। (1)

जिलाधिकारी, बागपत। (2)

संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (3)

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (4)

जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत। (5)

प्रबन्धक, डिवाइन गलोबल एकेडमी छपरौली रौड, बडौत, बागूपत। (6)

डॉ0(महेन्द्र देव)

युक्त शिक्षा निर्देशक एवं सदस्य सचिव मेरठ मण्डल, मेरठ।

Boran (Baghnat